निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 264/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस.एम.ई.सी.सी.सी. एल आई सी डिविजन अफिस बिल्डिंग कैम्पस, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

मैसर्स ज्ञान मार्केट प्रो. श्री प्रवण मेन्दिरत्ता पुत्र श्री अशोक मेन्दीरत्ता
(अ) 18, लिंक रोड, राजापार्क, जयपुर,
(ब) बी–10 ई , गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, राजापार्क, जयपुर ।

अप्रार्थी
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 15.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.06.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स ज्ञान मार्केटिंग प्रो. श्री प्रणव मेन्दीरत्ता पुत्र श्री अशोक मेन्दीरत्ता का हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स ऑफ रेडीमेड गारमेन्ट्स इत्यादि, (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर), ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फयूचर लिस्ट ऑफ बुक डेब्ट्स, आउट स्टेण्डिग, रिसीवेबल, आल मूवेबल्स, सिक्योरिटीज, ऐसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल, फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथीकशन एग्रीमेन्ट दिनांक 12.06.2015 में परिभाषित) सम्पत्ति को हाईपोथीकेटेड कर कुल राशि 10,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.04.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही है।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 10,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 10,60,864/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.04.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में मैसर्स ज्ञान मार्केटिंग प्रो॰ श्री प्रणव मेन्दीरत्ता पुत्र श्री अशोक मेन्दीरत्ता का हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स ऑफ रेडीमेड गारमेन्ट्स इत्यादि, (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर), ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक डेब्ट्स, आउट स्टेण्डिग, रिसीवेबल, आल मूवेबल्स, सिक्योरिटीज, ऐसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल, फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथीकशान एग्रीमेन्ट दिनांक 12.06.2015 में परिभाषित) सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 15.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर